न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर

बनाम

अभियुक्त

1. रामकृष्ण पुत्र श्री मदूराम विश्नोई,
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता),

फर्मः- गुरुकृपा डेयरी, हॉस्पिटल के सामने, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला-सिरोही
निवासी- 51, जाणियों की ढाणी, जाणियों का बेरी, तहसील- गुडामालानी, जिला- बाडमेर

प्रकरण संख्याः 35/2017

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री शैतान खरोर, प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से
2. रामकृष्ण, प्रतिवादी अभियुक्त स्वयं

-: निर्णय :- **दिनांक 09 जनवरी, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 25.1.2017 को समय 6.00 पी.एम. पर फर्म गुरुकृपा डेयरी, हॉस्पिटल के सामने, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। डेयरी पर रामकृष्ण पुत्र मदूराम उपस्थित थे। डेयरी में दूध, घी बेचने हेतु रखा पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने पर डेयरी में 3 स्टील की बरनियों में घी रखा हुआ था। विक्रेता द्वारा दो बरनियों में 3 किलों 500 ग्राम एवं एक बरनी में 4 किलोग्राम घी होना बताया। शुद्धता की जांच हेतु घी का नमूना वास्ते नमूना जांच खरीदा जा रहा है की सूचना फार्म नं. 5 ए पर लिखित में गवाहों सामने विक्रेता को दी गई एवं रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। गवाहान के समक्ष विक्रेता को उसके बताये गये बाजार भाव से रुपये 320/- नकद देकर घी को एकरुप कर 3 किलों 500 ग्राम की स्टील की बरनी में से 800 ग्राम घी साफ सूखी खाली स्टील की भगोनी में खरीदा एवं खरीद रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर है, जिसकी असल प्रति संलग्न है। विक्रेता एवं गवाहान के सामने खरीदशुदा घी को एकरुप कर 4 साफ सूखी, खाली प्लास्टिक की चौडे मुंह की शीशीयों में भरकर शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद कर लेबल तैयार किये। जिस पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-715, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व

.....पेज दो

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्ष्ज्ञा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना भागों को अलग अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-715 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रोस करते हुए खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैनें, गवाहों व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना S-715 सील चपडी किया उसको मौका फर्द पर अंकित किया। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियों तैयार कर उन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील्ड किया था। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग S-715 के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफावे में रखकर लिफावे को सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा मेरे द्वारा दिनांक 27.1.2017 को खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर को वास्ते जमा करवाकर रसीद प्रापत की जो असल संलग्न है तथा नमूनें के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 26.1.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफ.एस.एस.ए./2017/1209-11 दिनांक 01.3.2017 के साथ संलग्न खाद्य पदार्थ घी की जांच रिपोर्ट क्रमांक:एल.एस./63/एक्ट/2017/62 दिनांक 01.2.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी का नमूना S-715 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण से संबंधित असल मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को प्रस्तुत कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान खरोर द्वारा जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 09.1.2019 को प्रतिवादी अभियुक्त रामकृष्ण

....पेज तीन

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

ने इस न्यायालय में अपने अधिवक्ता श्री शैतान खरोर के साथ उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 09.1.2019 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादी अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त की फर्म गुरुकृपा डेयरी, वीरवाडा से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.1.2017 को प्रतिवादी से जो घी वास्ते जांच क्रय किया था, वह घी प्रतिवादी अभियुक्त ने ग्रामीण क्षेत्र से दूध क्रय कर बनाया था। प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा घी में कोई मिलावट नही की है। प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया घी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नही है, केवल अमानक स्तर का जांच रिपोर्ट मं बताया गया है। यह प्रतिवादी अभियुक्त का प्रथम अपराध है। प्रतिवादी अभियुक्त भविष्य में गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री विक्रय करेगा। प्रतिवादी अभियुक्त का व्यापार छोटा है व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। अतः उक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादी अभियुक्त पर कम से कम जुर्माना आरोपित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो **यह पाया गया कि आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी** दिनांक 25.1.2017 को समय 6.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म गुरुकृपा डेयरी, हॉस्पिटल के सामने, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला-सिरोही पर गये। उक्त डेयरी में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से रामकृष्ण पुत्र श्री मदूराम विश्नोई उपस्थित मिले, जो आम जन के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ घी व दूध विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त गुरुकृपा डेयरी का निरीक्षण करने पर डेयरी में 3 स्टील की बरनियों में लगभग 10 किलो 500 ग्राम खाद्य पदार्थ घी आमजन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह, मैसर्स गणपति स्टील फर्नीचर, हॉस्पिटल के सामने, वीरवाडा तथा श्री रामसिंह, वाहन चालक, काकर्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता रामकृष्ण को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने घी को हिला मिलाकर एकमेल कर 800 ग्राम घी को चमचे से एक साफ सूखी व खाली स्टील की भगोनी (तपेली) में तुलवाकर खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/- (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) विक्रेता रामकृष्ण को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद एवं बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता रामकृष्ण, उक्त गवाहों तथा आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता एवं उक्त गवाहों के समक्ष उक्त खरीदशुदा घी को पुनः एक

....पेज चार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

रुप कर चार भागों में बराबर बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की चौडे मुंह वाली शीशीयों में भरकर शीशीयों के ढ़क्कन को एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-715, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता रामकृष्ण एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-715 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता रामकृष्ण व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता रामकृष्ण, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म गुरुकृपा डेयरी, हॉस्पिटल के सामने, वीरवाडा, तहसील- पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता रामकृष्ण से खाद्य पदार्थ घी का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर लिफावे को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा दिनांक 27.1.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.1.2017 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 के अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-715 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./63/Act/2017/62 दिनांक 01.2.2017 के अनुसार आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म गुरुकृपा डेयरी, हॉस्पिटल के सामने, वीरवाडा में खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता रामकृष्ण से वास्ते नमूना

.....पेज पांच

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ घी का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादी अभियुक्त रामकृष्ण द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अभियुक्त रामकृष्ण पुत्र श्री मदूराम विश्नोई, खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म गुरुकृपा डेयरी, हॉस्पिटल के सामने, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, निवासी- 51, जाणियों की ढाणी, जाणियों की बेरी, तहसील- गुडामालानी, जिला-बाडमेर पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। उक्त अभियुक्त रामकृष्ण पुत्र श्री मदूराम विश्नोई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म गुरुकृपा डेयरी, हॉस्पिटल के सामने, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही